



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 829) पटना, शुक्रवार, 7 सितम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर 2018

एस० ओ० 232, दिनांक 7 सितम्बर 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन निम्नलिखित करदाताओं के वर्ग द्वारा संदत्त विलंब शुल्क का अधित्यजन करते हैं:

- (i) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में अक्टूबर, 2017 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत की थी किंतु आवेदन संदर्भ संख्यांक सृजन होने के पश्चात सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी।
- (ii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-4** में अक्टूबर, से दिसम्बर 2017 की अवधि के लिए नियत तारीख तक विवरणी फाइल की है किंतु सामान्य पोर्टल पर गलती से विलंब शुल्क उद्धृत हुआ था।
- (iii) ऐसे इनपुट सेवा वितरक जिन्होंने किसी कर अवधि जो 1 जनवरी, 2018 और 23 जनवरी, 2018 के मध्य थी, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-6** में विवरणी फाइल करने या प्रस्तुत करने के लिए विलंब शुल्क संदत्त किया है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० विक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)-2601)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

7 सितम्बर 2018

एस0ओ0 232 दिनांक 7 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)-2601)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 7th September 2018

S.O. 232, Date 7th September 2018— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee paid under section 47 of the said Act, by the following classes of taxpayers:-

- (i) the registered persons whose return in **FORM GSTR-3B** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of October, 2017, was submitted but not filed on the common portal, after generation of the application reference number;
- (ii) the registered persons who have filed the return in **FORM GSTR-4** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 for the period October to December, 2017 by the due date but late fee was erroneously levied on the common portal;
- (iii) the Input Service Distributors who have paid the late fee for filing or submission of the return in **FORM GSTR-6** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 for any tax period between the 1st day of January, 2018 and the 23rd day of January, 2018.

2. This notification shall come into force with effect from 4th September 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)-2601)]
By the order of Governor of Bihar,
DR. PRATIMA,
Commissioner-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 829-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>